आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Excise Case No.- 27 of 2016

Dist.:-Jahanabad

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Ruby Devi - Petitioner/ Appellant

Versus

The Commissioner Excise,
Bihar, Patna Ors - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Sri Ganga Prasad Bimal, Advocate.
For the OP : Sri Shambhu Prasad, G.P.

O R D E R

19.09.2018

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश ज्ञापांक–11/2015–424 दिनांक– 29.01.2016 द्वारा पारित आदेश विरुद्ध दायर किया गया है साथ ही अधीक्षक उत्पाद जहानाबाद के ज्ञापांक–184 दिनांक– 08.02.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आयुक्त उत्पाद बिहार, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में निदेशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अंदर जहानाबाद नगर परिषद विदेशी शराब दुकान सं0– 10 के साथ–साथ समूह में शामिल प्र0मु0 दे0श0 घोषी दुकान सं0– 01 एवं कंपोजिट दुकान सं0–14 का बकाया राशि एक सप्ताह के अंदर जमा कर मूल चालान कार्यालय में समर्पित करें। सम्पूर्ण बकाया राशि एक सप्ताह के अंदर जमा करने के पश्चात् ही

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

जहानाबाद विदेशी शराब दुकान सं0– 10 को खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए समूह में विभिन्न उत्पाद दुकानों का लौटरी पद्धति द्वारा बंदोबस्त के लिए जहानाबाद जिला में अधिसूचना प्रकाशित की गई जो समाहर्त्ता जहानाबाद द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिचारित थी। उपर्युक्त बिक्री अधिसूचना के आलोक में अपीलार्थी ने समूह सं0– 4/ए उत्पाद दुकान के बंदोवस्ती हेतु आवेदन किया जिसमें तीन दुकान यथा (1) घोसी देशी शराब दुकान सं0– 1 (2)कम्पोजिट दुकान सं0– 14 (3) विदेशी शराब दुकान सं0– 10 समाहित थे। अपीलार्थी लॉटरी के माध्यम से समूह सं0– 4/ए उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए तीन स्थलों को प्रस्तावित किया।

सम्यक जाँचोपरांत अपीलार्थी द्वारा विदेशी शराब दुकान सं0–01 एवं कम्पोजिट दुकान सं0– 14 के लिए जो स्थान प्रस्तावित कराया गया था उसे अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया और संबंधित दोनों अनुमोदित स्थलों पर अपीलार्थी ने दुकानों का संचालन प्रारम्भ किया। जबकि प्रश्नगत विदेशी शराब दुकान सं0– 10 के लिए प्रस्तावित स्थल का अनुमोदन अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा स्थानीय निवासियों के आपत्ति के आलोक में नहीं किया गया और तदनुसार दिनांक– 11.07.2015 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को निदेशित किया गया कि आपत्ति रहित अन्य स्थल उत्पाद दुकान सं0–10 के बदले प्रस्तावित करें। अपीलार्थी द्वारा आपत्ति रहित अन्य स्थल प्रस्तावित न कर पहले से प्रस्तावित स्थल पर ही उत्पाद दुकान खोलने की अनुमति देने लिए प्रेरित किया जाता रहा है।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

अपीलार्थी के तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस स्थानीय क्षेत्र में 9 विदेशी शराब की दुकानें संचालित हो रही है और सभी 9 विदेशी शराब दुकान के अनुज्ञाधारियों ने दुर्भावनाग्रस्त हो कर स्थानीय निवासीयों को प्रश्नांकित उत्पाद दुकान सं0–10 के संचालन में आपत्ति करने के लिए प्रेरित किया है यह भी समर्पित किया गया कि प्रश्नांकित उत्पाद दुकान सं0–10 के संचालन के लिए प्रस्तावित स्थल नियम 47 के सभी शर्तों को पूरा करता है।

दूसरी ओर विभाग के तरफ से कहा गया कि समाहर्त्ता, जहानाबाद ने उपलब्ध अभिलेखों एवं उत्पाद अधीक्षक के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया कि स्थानीय निवासी का विरोध सही और यह दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। यह आदेश अधीक्षक उत्पाद जहानाबाद के प्रतिवेदन पर आधारित है और यह अधिसूचना सं0– 471 एफ के तहत गठित नियम 48 सी से अच्छादित है। तदनुसार उत्पाद दुकान सं0–10 के लिए अपीलार्थी द्वारा चयनित स्थल को अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दो बार अस्वीकृत किया गया। यह भी समर्पित किया गया कि लोकहित में यह सुरक्षित नहीं है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित स्थल जो प्रश्नगत उत्पाद दुकान सं0–10 के लिए है उसे स्वीकृत किया जाय और अपीलार्थी को चाहिए कि बगैर किसी विलम्ब के आपत्ति रहित अन्य स्थल प्रस्तावित करें। विभाग के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी अनावश्यक निराधर आधारों पर मुकदमेंबाजी कर रहे है। जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।

उत्पाद अधीक्षक के पत्रांक– 726 दिनांक– 12.11.2015 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से यह परिलक्षित होता है कि देशी शराब दुकान सं0–1 और कम्पोजिट दुकान सं0– 14 के समूह सं0–4/ए संचालित

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

है। परन्तु प्रश्नगत विदेशी शराब दुकान सं0–10 के बंद होने से अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया जा रहा है जिससे राज्य को राजस्व क्षति उठानी पड़ रही है।

उत्पाद आयुक्त के यहाँ दायर अपील वाद में अन्तरपक्षी श्री राजीव रंजन बिहार उत्पाद अधिनियम के धारा 48 सी के तहत आवेदन दायर कर यह प्रार्थना करते है कि उन्हें आवश्यक पक्ष इस वाद में बनाया जाए एवं अपील वाद को खारिज किया जाय।

इस मामले के आयुक्त उत्पाद द्वारा अपील वाद में राजस्व हित एवं प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में आदेश दिया गया कि यदि अपीलार्थी द्वारा बकाया सहित पूर्ण अनुज्ञाशुल्क की राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा की जाती है तो उन्हें उत्पाद दुकान संख्या– 10 के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समूह सं0– 4/ए के दो अन्य दुकान यथा विदेशी शराब दुकान सं0–1 और कम्पोजिट दुकान सं0–14 के बकाये अनुज्ञाशुल्क की राशि भी अपीलार्थी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर जमा कर दी जाए।

दिनांक– 29.08.2018 को दोनों पक्षों को लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, परन्तु किसी के द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया।

आवेदक द्वारा दो बिन्दुओं पर वाद दायर किया गया जिसमें एक बिन्दु जो अनुज्ञप्ति (Licenses) से संबंधित है वो दिनांक– 25.07.2018 को ही Bihar Prohibition and Excise Act 2016 के आलोक में Infructuous हो चुका है।

साथ ही जहाँ तक Remission of License fee का सवाल है तो इस मामले में आवेदक को उत्पाद आयुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

में अनुज्ञाशुल्क की राशि जमा कर देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर समूह सं0–4/ए के दो अन्य यथा विदेशी शराब दुकान सं0–1 और कम्पोजिट दुकान सं0–14 के अनुज्ञा शुल्क भी नहीं जमा कर आयुक्त के आदेश का उल्लंघन किया।

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि उत्पाद आयुक्त का आदेश तथ्यों पर आधारित है। अतः उत्पाद आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

19/9/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

19/9/18

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।